

उन्तालीसवां प्रतिवेदन

याचिका समिति

(सत्रहवीं लोक सभा)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(13.12.2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया)



सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

दिसंबर, 2022/अग्रहायण, 1944(शक)

सीपीबी सं. 1 खंड XXXIX

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम
382 के अंतर्गत प्रकाशित

विषय-सूची

	पृष्ठ
याचिका समिति का गठन.....	(ii)
प्राक्कथन.....	(iii)

प्रतिवेदन

पर्यावरणीय कानूनों का पालन करने सहित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेष कार्मिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता के संबंध में श्री विक्रम से प्राप्त अभ्यावेदन।

1

परिशिष्ट

याचिका समिति की 12.12.2022 को हुई 25वीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

55

याचिका समिति का गठन

श्री हरीश द्विवेदी - सभापति

सदस्य

2. श्री एंटो एन्टोनी
3. श्री हनुमान बेनीवाल
4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
5. श्री पी. रविन्द्रनाथ
6. डॉ. जयंत कुमार राय
7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. श्री बृजेन्द्र सिंह
9. श्री सुनील कुमार सिंह
10. श्री सुशील कुमार सिंह
11. श्री मनोज कुमार तिवारी
12. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा
13. श्री राजन बाबूराव विचारे
14. रिक्त
15. रिक्त

सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर - अपर सचिव
2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री तेनजिन जलसन - उप सचिव

(ii)

याचिका समिति का उन्तालीसवां प्रतिवेदन
(सत्रहवीं लोक सभा)

प्राक्कथन

मैं, याचिका समिति का सभापति, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, पर्यावरणीय कानूनों का पालन करने सहित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेष कार्मिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता के संबंध में श्री विक्रम से प्राप्त अभ्यावेदन पर याचिका समिति का यह उन्तालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) सभा में प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 12 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में 39वें प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

3. उक्त मुद्दों पर समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं।

नई दिल्ली;
12 दिसंबर, 2022
21 अग्रहायण, 2022

श्री हरीश द्विवेदी,
सभापति,
याचिका समिति

अभ्यावेदन

पर्यावरणीय कानूनों का पालन करने सहित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेष कार्मिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता के संबंध में श्री विक्रम का अभ्यावेदन।

श्री विक्रम ने पर्यावरण कानूनों का पालन करने के साथ-साथ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा विशेष कार्मिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता के संबंध में याचिका संबंधी समिति के समक्ष दिनांक 05.06.2022 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।

2. अभ्यावेदनकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि चक्रवात ताउते के दौरान मई 2021 को हुई एक घटना ने पूरे परिचालन के साथ-साथ ओएनजीसी की प्रतिष्ठा को भी हिला कर रख दिया। परिणामस्वरूप, ओएनजीसी परियोजनाओं के लिए तैनात जहाजों के डूबने के कारण कुल 86 कार्मिकों की जान चली गई। इसलिए, जलयानों के फंसे होने और दुर्घटना के कारण हुई घटनाओं के अनुक्रम की जांच करने के लिए, भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक (पोत परिवहन) और अपर सचिव (अन्वेषण), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को शामिल कर एक अन्य दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया था जो जलयानों को किराए पर लेने के लिए निबंधन और शर्तों में अपेक्षित सुधारों की जांच करेगी और यदि आवश्यक हो तो संशोधनों का सुझाव देगी। उपरोक्त वीभत्स घटना के निम्नलिखित तीन आयाम हैं:-

- (i) 86 कर्मियों की असामयिक मृत्यु।
- (ii) जहाजों के डूबने के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- (iii) जहाजों को किराए पर लेने के निबंधन और शर्तों का पुनः अध्ययन।

3. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद ओएनजीसी ने भी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का दावा किया है:-

- (i) अपतटीय क्षेत्रों में अपने क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए महानिदेशक (मौसम विज्ञान), भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के साथ व्यवस्था।
- (ii) समुद्री प्रचालनों से संबंधित पोत सूचना, प्रबंधन और सुरक्षा के लिए एकल बिंदु प्राधिकरण, समुद्री प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
- (iii) गंभीर चक्रवात संबंधी आपातकालीन प्रतिक्रिया से उपयुक्त रूप से निपटने के लिए एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया), ईआरपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना) और डीएमपी (आपदा प्रबंधन योजना) में संशोधन।
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के परामर्शदाता के माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण परिपतियों की बेंचमार्किंग।

4. अभ्यावेदनकर्ता ने मई, 2021 को हुई दुर्घटना का उल्लेख किया, लेकिन उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्ष अभी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, जहाजों को किराए पर लेने के लिए निबंधन और शर्तों के संबंध में आवश्यक सुधारों की जांच करने और संशोधनों का सुझाव देने के लिए गठित दो सदस्यीय समिति के निष्कर्ष भी किसी को ज्ञात नहीं हैं। ओएनजीसी ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के परिणामों का खुलासा नहीं किया है और इसलिए ओएनजीसी की ओर से ऐसा विलंब भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने और उनसे बचने के लिए ओएनजीसी की गंभीरता की कमी को दर्शाता है। अभ्यावेदनकर्ता ने 28 जून, 2022 को हुई एक अन्य दुर्घटना की ओर ध्यान आकर्षित किया, जबकि नौ लोगों के साथ एक नया पवन हंस हेलीकॉप्टर मुंबई तट से लगभग 50 समुद्री मील दूर अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें ओएनजीसी के लिए काम करने वाले ठेकेदार द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति और ओएनजीसी के तीन कर्मचारियों सहित कुल चार लोग मारे गए। अभ्यावेदनकर्ता ने आरोप लगाया कि यदि ओएनजीसी ने कार्य योजना तैयार

की होती और समय पर इसे लागू किया होता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि ओएनजीसी को अपने परिचालन के लिए ठेकेदारों को काम पर रखने की अपनी नीति के साथ-साथ अपने कार्यक्रम की तत्काल समीक्षा करनी चाहिए। जहां तक ओएनजीसी द्वारा पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन का संबंध है, अभ्यावेदनकर्ता ने बताया है कि कृष्णा गोदावरी (केजी) बेसिन में ओएनजीसी द्वारा कुछ पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक आवेदन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), चेन्नई के समक्ष दायर किया गया है। इसके अनुसरण में, एनजीटी ने क्षेत्र का निरीक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया, जिसे प्रस्तुत कर दिया गया है। तथापि, इस रिपोर्ट पर ओएनजीसी द्वारा की गई कार्रवाई को भी ओएनजीसी द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसे देखते हुए, ओएनजीसी के शीर्ष प्रबंधन में एक स्पष्ट शिथिलता दिखाई देती है, जिसके कारण न केवल कीमती संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, बल्कि बहुमूल्य जीवन भी खत्म हो गए हैं। इसलिए अभ्यावेदनकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में उठाए गए उपर्युक्त मुद्दों की जांच करके इस मामले को देखने का अनुरोध किया है, जिसमें ओएनजीसी को पेशेवर तर्ज पर ऐसी नीतियां तैयार करने का निर्देश दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

5. याचिका संबंधी समिति (सोलहवीं लोक सभा) ने लोक सभा अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश 95 के तहत श्री विक्रम के अभ्यावेदन पर विचार किया। तदनुसार, अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अभ्यावेदन को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भेजा गया था और साथ ही, इस मामले में अपने उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत करने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को बिंदुओं की एक विस्तृत सूची भी भेजी गई थी।

6. श्री विक्रम के अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों/बिंदुओं का वास्तविक मूल्यांकन करने के लिए समिति ने 14 सितंबर, 2022 को कोच्चि का तत्स्थानिक अध्ययन दौरा किया। उक्त अध्ययन यात्रा के दौरान समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श भी किया।

7. समिति ने ताउते जैसी अभूतपूर्व आपात स्थितियों के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए ओएनजीसी द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों के बारे में जानना चाहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने लिखित उत्तर में बताया कि :-

(i) मौसम और चक्रवात का पूर्वानुमान

(क) ई एंड पी कंपनियों को चक्रवात पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए डीजीएच, आईएमडी, आईएनसीओआईएस, डीजीएस, आईसीजी और ओआईएसडी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, ओएनजीसी को नियमित रूप से चक्रवात संबंधी चेतावनी और मौसम पूर्वानुमान प्राप्त हो रहे हैं। यह मौसम/चक्रवात का पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए 'स्काईमेट' के साथ अनुबंध के अतिरिक्त है। पूर्वानुमान समय पर तैयारी और कार्रवाई के लिए हितधारकों के साथ साझा किए जाते हैं।

(ख) आईएमडी ने प्रभावी मौसम निगरानी और चक्रवाती स्थितियों के लिए आईएमडी द्वारा प्रदान की गई पश्चिमी और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र में चक्रवाती विक्षोभ, निगरानी और पूर्वानुमान पहलुओं, पूर्वानुमान और चेतावनी से जुड़े बुनियादी नियमों और शब्दावली से परिचित होने के लिए लगभग 250 प्रमुख कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है।

(ii) ईआरपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना)

(क) ईआरपी को अद्यतन किया गया है जिसमें चक्रवात की भविष्यवाणी पर तत्काल की जाने वाली कार्रवाई और एहतियाती कार्रवाई शामिल है। ईआरपी कर्मियों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और यह जहाजों/नौकाओं/टैंकरों और निश्चित प्रतिष्ठानों से घिरा हुआ है।

(ख) प्रतिष्ठानों और नौकाओं/टैंकरों के संबंध में अधिकारियों द्वारा जोखिम विश्लेषण किया जाता है। संयुक्त जोखिम विश्लेषण के उद्देश्य के लिए जोखिम धारणा के स्तर के आधार पर प्राधिकरण

में स्थापना प्रबंधक, भूतल क्षेत्र प्रबंधक, भूतल प्रबंधक ही है। उच्च दाब/चक्रवात के मौसम पूर्वानुमान के आधार पर सबसे बुरी स्थिति में कार्रवाई की जाती है, तदनुसार, सभी नौकाओं को सुरक्षित पानी में जाने के लिए कहा जाता है और सुरक्षित पानी में उनके आवाजाही की निगरानी वीएटीएमएस (वेसल एंड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) द्वारा की जाएगी।

(iii) ईआरपी और आर सी पी)क्षेत्रीय आकस्मिकता योजना (की प्रभावशीलता की जांच के लिए नियमित अभ्यास किया जा रहा है।

(iv) आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ईआरटी की पहचान की गई है जिसमें विभिन्न विषयों के अधिकारी शामिल हैं जो स्थिति का आकलन करेंगे और मुख्य आपातकालीन समन्वयक की सहायता करेंगे, अर्थात् वरिष्ठतम अपतटीय परिसंपत्ति प्रबंधक ईआरटी को सक्रिय करते हैं।

(v) आपातकालीन स्थितियों के लिए पर्याप्त संख्या में एंकर हैंडलिंग टग) एएचटी (और आवश्यक क्षमता के आपातकालीन टोइंग वेसल)ईटीवी (क्षेत्र में उपलब्ध कराए गए हैं। नॉन-प्रोपेल्ड बार्ज के लिए स्वीकृत रस्सा योजना की जांच बार्ज ऑडिट द्वारा की जा रही है।

(vi) समुद्री प्रकोष्ठ सभी प्रकार के समुद्री फैलाव का परिनियोजन पूर्व निरीक्षण करता है। पाई गई टिप्पणियों को उपयोगकर्ता अनुभाग को अवगत कराया जाता है और अनुपालन की जांच के लिए सत्यापन निरीक्षण किया जाता है। समुद्री प्रकोष्ठ से मंजूरी मिलने के बाद ही जहाजों को तैनात किया जाता है। समुद्री प्रकोष्ठ किराए पर लेने के लिए जहाजों की तकनीकी विशिष्टताओं की भी जांच करता है। ऑन-बोर्ड एचएसई निरीक्षण/ड्रिल किए जा रहे हैं।

(vii) एलएसटीके संविदाकार डीजी शिपिंग आवश्यकता के अनुरूप समुद्री स्प्रेड के चयन, प्रचालन, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में योग्यता रखने वाले संसाधनों)मास्टर मेरिनर /समुद्री विशेषज्ञ आदि (को संलग्न करते हैं।

(viii) निलंबित प्रचालन के लिए मौसम सीमित करने वाली शर्तों को संशोधित समुद्री प्रचालन नियमावली में शामिल किया गया है। बार्ज निकासी के लिए सीमित शर्तें प्रतिकूल मौसम की स्थापना/रिग विशिष्ट ईआरपी के अंतर्गत आती हैं। समुद्री प्रचालन मैनुअल में जहाजों की अपनी आईएसएम) अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (प्रक्रियाएं हैं जो सुरक्षित प्रचालन के लिए शर्तों को सीमित करती हैं।

(ix) आपदा प्रबंधन योजनाओं/क्षेत्रीय आकस्मिकता योजनाओं को अद्यतन किया गया है। संचार चैनल, तंत्र, नियंत्रण कक्ष, वृद्धि स्तर आदि की पहचान की गई है। नियंत्रण कक्ष के संपर्क बिंदु अर्थात् डीजीसीओएमएम, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, ओएनजीसी/डीजीएच और उनके विस्तार को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है और सभी को परिचालित किया जा रहा है। मौसम एजेंसी, नौसेना, तटरक्षक बल, डीजीसीओएमएम) डीजी कॉम सेंटर (द्वारा जारी कोई भी सलाह/अलर्ट के बारे में समय पर कार्रवाई के लिए सभी प्रतिष्ठानों और जहाजों को सूचित किया जाता है। अन्य एजेंसियों के साथ भी सलाह साझा की जाती है।

(x) आईसीजी) भारतीय तट रक्षक/(एमआरसीसी) समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (समुद्र में चक्रवाती आपात स्थितियों से निपटने के लिए नोडल निष्पादन एजेंसी है, जिसमें चक्रवात और सुनामी के मामले में आवश्यक पूर्व उपाय शामिल हैं।

(xi) समुद्र में किसी भी आपात स्थिति के मामले में विभिन्न प्राधिकरणों, एजेंसियों और पणधारकों के बीच समन्वय के लिए डीजीएस) डीजी शिपिंग/(डीजी कॉम सेंटर केंद्र बिंदु हैं।

(xii) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) एमओपीएनजी (के डीएमपी2020-, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना2019-, कोविड 19- पर जारी एमओपीएनजी दिशानिर्देश, चक्रवात-ताउते के बाद जारी एमओपीएनजी दिशानिर्देश, ताउते चक्रवात की घटना पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए सीडीएमपी को पूरी तरह से संशोधित किया गया है।

(xiii) परियोजना परिवर्तन के तहत कार्य चल रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम आधारित संविदाकार प्रबंधन प्रणाली परियोजना प्रबंधन में पूरी तरह से अंतर्निहित है। इसमें संविदाकार मूल्यांकन के लिए एचएसई मापदंडों को शामिल करने के लिए चेकलिस्ट/फॉर्मेट शामिल होंगे। ठेकेदार मूल्यांकन के लिए वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया तैयार की जाएगी और बोली दस्तावेज का हिस्सा बनाया जाएगा। ब्रिजिंग दस्तावेजों को तैयार करने और दस्तावेजीकरण के लिए ओएनजीसी और इसकी संबद्ध सहायक कंपनियों/प्रचालन इकाइयों के लिए एक समान दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(xiv) संदर्भित हेलीकॉप्टर घटना 28 जून 2022 को हुई थी। क्षेत्रीय आकस्मिकता योजना (आरसीपी) को तुरंत सक्रिय कर दिया गया था। अपतटीय रक्षा सलाहकार समूह (ओडीएजी) और समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (एमआरसीसी) को ओएनजीसी रेडियो रूम द्वारा सूचित किया गया था और भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना से आरसीपी के तहत मदद मांगी गई थी। त्वरित प्रतिक्रिया और कार्रवाई के साथ सभी 9 कर्मियों को तेजी से बचा लिया गया। ओएनजीसी अपतटीय प्रचालनों में शामिल कर्मियों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित उपाय कर रही है।

(xv) केजी बेसिन के संबंध में, ओएनजीसी ने संयुक्त समिति की रिपोर्ट (दिनांक 24.03.2022) के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। इस उत्तर में प्रतिक्रिया के साथ-साथ की गई कार्रवाई भी शामिल है। ट्रिब्यूनल का निर्णय 02.08.2022 को सुनाया गया है और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के साथ उचित परामर्श के बाद अगली कार्रवाई करने से पहले ओएनजीसी में इसकी जांच की जा रही है। निर्णय एनजीटी साइट में जनता के लिए उपलब्ध है।

(xvi) ओएनजीसी प्रबंधन एचएसई से संबंधित मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करता है। प्रबंधन द्वारा सक्रिय नेतृत्व के माध्यम से

पिछले कुछ वर्षों में दुर्घटनाओं की कुल संख्या में कमी आई है। ओएनजीसी की एचएसई प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- (क) आईएसओ 9001, आईएसओ 45001 और आईएसओ 14001 पर आधारित एक लचीली स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन प्रणाली लागू है।
- (ख) जोखिम पहचान (एचएजैडआईडी), जोखिम प्रचालन क्षमता (एचएजैडओपी), गुणात्मक/मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन (क्यूआरए) और सुरक्षा सत्यनिष्ठा स्तर (एसआईएल) जैसे सुरक्षा अध्ययन आरंभिक चरण में किए जाते हैं। सभी संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों और संहिताओं का अनुपालन किया जाता है।
- (ग) प्रत्येक प्रचालन गतिविधि से जुड़े खतरों को जोखिम रजिस्टर में वस्तुनिष्ठ रूप से पहचाना, परिमाणित और प्रलेखित किया गया है। इसके आधार पर विशिष्ट सुरक्षित कार्य पद्धतियां/प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं और कार्यान्वित की जाती हैं।
- (घ) आंतरिक सुरक्षा लेखा परीक्षा (आईएसए) नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) नियमित ऑडिट/निरीक्षण करते हैं। लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित किया जाता है।
- (ङ.) मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपीज) सभी कार्यों के लिए उपलब्ध हैं, जिसमें एचएसई अनुपालन, निरीक्षण, स्वास्थ्य निगरानी और नियंत्रण, निवारक रखरखाव और मरम्मत प्रक्रिया, आपातकालीन/असामान्य प्रचालन प्रक्रिया आदि शामिल हैं।
- (च) साइट विशिष्ट के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं उपलब्ध हैं। नियमित मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया

और संसाधनों की प्रभावशीलता की नियमित रूप से जांच की जाती है।

- (द्व) हर शिफ्ट में काम शुरू होने से पहले कार्य सुरक्षा विश्लेषण (जेएसए) और टूल बॉक्स टॉक (टीबीटी) करने के बाद सभी काम किए जाते हैं।
- (ज) ओएनजीसी ने 2016 से दस सुरक्षा नियम लागू किए हैं, जिनका पालन सभी कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- (झ) अपनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा संस्कृति को और मजबूत करने के उद्देश्य से ओएनजीसी ने सुरक्षा प्रबंधन आकलन के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार मैसर्स डीएनवी जीएल प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया है। परियोजना को पूरे संगठन में लागू किया जा रहा है। समयबद्ध तरीके से संगठन की सुरक्षा संस्कृति और सुरक्षा प्रदर्शन में सुधार के लिए सलाहकार की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए सीएमडी, ओएनजीसी द्वारा परियोजना परिवर्तन शुरू की गई है।

8. तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा मानकों, जिसमें पहले के सुरक्षा मानकों की तुलना में संशोधित सुरक्षा मानकों को स्पष्ट रूप से बताया गया हो, पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओएनजीसी ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) ने अब तक तेल और गैस उद्योग के लिए 120 मानक तैयार किए हैं और भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से इन मानकों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन मानकों के संशोधन/इन्हें तैयार करने में उद्योग/पणधारकों के ज्ञान और अनुभव के साथ-साथ नवीनतम प्रगति, नए/परिवर्तन के विनियम, साथ ही घटना से

सीखे गए सबक शामिल हैं। ओआईएसडी मानक में संशोधन तेल और गैस उद्योग के विशेषज्ञों की कार्यात्मक समिति द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया ओआईएसडी द्वारा समन्वित है। संशोधित दस्तावेज़ की समीक्षा ओआईएसडी में निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाती है और फिर सार्वजनिक/व्यावसायिक निकायों/उद्योग से टिप्पणियों के लिए वेब होस्ट/मेल की जाती है। मसौदा दस्तावेज़ में शामिल करने के लिए प्राप्त सुझावों की कार्यात्मक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। तब इस संशोधित दस्तावेज़ को संचालन समिति द्वारा अपनाया जाता है जिसमें तेल और गैस उद्योग के पूरे स्पेक्ट्रम के प्रधान पैनलिस्ट शामिल होते हैं और फिर अंत में, सचिव, पीएनजी की अध्यक्षता में एक सुरक्षा परिषद, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय (एमओपीएंडएनजी) के (अपर सचिव/ संयुक्त सचिव), तेल और गैस उद्योग के सीईओ, नियामक और ओआईएसडी के अन्य सदस्य शामिल होते हैं, को अनुमोदन के लिए परिचालित किया जाता है।

संशोधन की स्थिति सहित इन मानकों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.स.	ओआईएसडी मानक सं.	मानक नाम	प्रथम संस्करण	प्रचलित वर्तमान संस्करण	अभ्युक्तियाँ
1	ओआईएसडी-एसटीडी-105	वर्क परमिट सिस्टम	फरवरी, 1988	सितम्बर, 2004	संशोधनाधीन
2	ओआईएसडी-एसटीडी-106	दबाव राहत और निपटान प्रणाली	नवम्बर, 1988	अक्टूबर, 2010	
3	ओआईएसडी-आरपी-108	तेल भंडारण और हैंडलिंग पर अनुशंसित अभ्यास	जुलाई, 1997	जुलाई, 1997	संशोधनाधीन
4	ओआईएसडी-एसटीडी-109	ब्लो डाउन और सीवर सिस्टम पर प्रक्रिया	नवम्बर, 1988	जनवरी, 2015	

		डिजाइन और संचालन दर्शन			
5	ओआईएसडी-आरपी-110	स्थैतिक बिजली पर अनुशंसित अभ्यास	अगस्त, 1990	अक्टूबर, 2018	
6	ओआईएसडी-एसटीडी-111	फायर प्रोसेस फर्नेस पर प्रोसेस डिजाइन और ऑपरेटिंग फिलॉसफी	मार्च, 1989	अप्रैल, 2016	
7	ओआईएसडी-एसटीडी - 112	वायु हाइड्रोकार्बन मिश्रणों और पायरोफोरिक पदार्थों का सुरक्षित संचालन	1989	अगस्त, 2019	
8	ओआईएसडी-एसटीडी - 113	हाइड्रोकार्बन प्रसंस्करण और संचालन सुविधाओं में विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए क्षेत्र का वर्गीकरण	सितम्बर, 1996	अक्टूबर, 2013	
9	ओआईएसडी-एसटीडी - 114	खतरनाक रसायनों का सुरक्षित संचालन	जुलाई, 1998	अक्टूबर, 2010	
10	ओआईएसडी-जीडीएन-115	पेट्रोलियम उद्योग में अग्निशमन उपकरण और उपकरणों पर दिशानिर्देश	जुलाई, 2000	जुलाई, 2000	संशोधनाधीन
11	ओआईएसडी-एसटीडी - 116	पेट्रोलियम रिफाइनरियों और तेल/गैस प्रसंस्करण संयंत्रों	मार्च, 1991	अक्टूबर, 2017	

		के लिए अग्नि सुरक्षा सुविधाएं			
12	ओआईएसडी- एसटीडी - 117	पेट्रोलियम डिपो, टर्मिनलों, पाइपलाइन प्रतिष्ठानों और ल्यूब तेल प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा सुविधाएं	अगस्त, 2007	सितम्बर, 2017	
13	ओआईएसडी- एसटीडी - 118	तेल और गैस प्रतिष्ठानों के लिए लेआउट	नवम्बर, 1988	जुलाई, 2008	संशोधनाधीन
14	ओआईएसडी- एसटीडी - 119	पंपों का चयन, संचालन और रखरखाव	जुलाई, 1990	जुलाई, 2008	संशोधनाधीन
15	ओआईएसडी- 1 एसटीडी -20	कंप्रेसर का चयन, संचालन और रखरखाव	जनवरी, 1990	जुलाई, 2008	संशोधनाधीन
16	ओआईएसडी- एसटीडी - 121	स्टीम और गैस टर्बाइन का चयन, संचालन निरीक्षण और रखरखाव	Jan, 1990	अक्टूबर, 2010	संशोधनाधीन
17	ओआईएसडी- आरपी-122	पंखे, ब्लोअर, गियर बॉक्स, एजीटेटर्स और मिक्सर का चयन, संचालन और रखरखाव	जनवरी, 1990	जुलाई, 2008	संशोधनाधीन
18	ओआईएसडी- आरपी-123	रोटरी उपकरण घटकों का चयन, संचालन और रखरखाव	जनवरी, 1990	जुलाई, 2008	संशोधनाधीन

19	ओआईएसडी- आरपी-124	पुर्वानुमान रखरखाव पद्धति	मार्च, 1990	अगस्त, 2007	संशोधनाधीन
20	ओआईएसडी- एसटीडी - 125	यांत्रिक मुहरों का निरीक्षण और रखरखाव	जुलाई, 1990	अगस्त, 2007	संशोधनाधीन
21	ओआईएसडी- आरपी-126	रोटेटिंग इक्विपमेंट की स्थापना और रखरखाव के लिए विशिष्ट अभ्यास	अगस्त, 1990	अगस्त, 2007	संशोधनाधीन
23	ओआईएसडी- एसटीडी - 128	अनफायर्ड प्रेशर वेसल का निरीक्षण	नवम्बर, 1988	अक्टूबर, 2010	संशोधनाधीन
24	ओआईएस एसटीडी डी- 129	भंडारण टैंकों का निरीक्षण	नवम्बर, 1988	नवम्बर, 2006	संशोधनाधीन
25	ओआईएसडी- एसटीडी - 130	पाइपिंग सिस्टम का निरीक्षण	नवम्बर, 1988	जुलाई, 2008	
26	ओआईएसडी- एसटीडी - 131	बॉयलरों का निरीक्षण	अप्रैल, 1990	अगस्त, 2019	
27	ओआईएसडी- एसटीडी- 132	दाब मुक्त उपकरणों का निरीक्षण	नवम्बर, 1990	जुलाई, 2012	
28	ओआईएसडी- एसटीडी - 133	फायर्ड हीटरों का निरीक्षण	नवम्बर, 1990	अप्रैल, 2016	
29	ओआईएसडी- एसटीडी - 134	हीट एक्सचेंजर्स का निरीक्षण	मार्च, 1990	अक्टूबर, 2010	
30	ओआईएसडी- एसटीडी - 135	पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लोडिंग और	फरवरी, 1996	सितम्बर, 2021	

		अनलोडिंग होसेस का निरीक्षण			
31	ओआईएसडी- एसटीडी- 137	विद्युत उपकरण का निरीक्षण	जनवरी, 1990	अप्रैल, 2016	
23	ओआईएसडी- एसटीडी - 128	अनफायर्ड प्रेशर वेसल का निरीक्षण	नवम्बर, 1988	अक्टूबर, 2010	संशोधनाधीन
24	ओआईएस एसटीडी डी- 129	भंडारण टैंकों का निरीक्षण	नवम्बर, 1988	नवम्बर, 2006	संशोधनाधीन
25	ओआईएसडी- एसटीडी - 130	पाइपिंग सिस्टम का निरीक्षण	नवम्बर, 1988	जुलाई, 2008	
26	ओआईएसडी- एसटीडी - 131	बॉयलरों का निरीक्षण	अप्रैल, 1990	अगस्त, 2019	
27	ओआईएसडी- एसटीडी- 132	दाब मुक्त उपकरणों का निरीक्षण	नवम्बर, 1990	जुलाई, 2012	
28	ओआईएसडी- एसटीडी - 133	फायर्ड हीटरो का निरीक्षण	नवम्बर, 1990	अप्रैल, 2016	
29	ओआईएसडी- एसटीडी - 134	हीट एक्सचेंजर्स का निरीक्षण	मार्च, 1990	अक्टूबर, 2010	
30	ओआईएसडी- एसटीडी - 135	पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लोडिंग और अनलोडिंग होसेस का निरीक्षण	फरवरी, 1996	सितम्बर, 2021	
31	ओआईएसडी- एसटीडी- 137	विद्युत उपकरण का निरीक्षण	जनवरी, 1990	अप्रैल, 2016	

32	ओआईएसडी- एसटीडी- 139	अपतटीय पाइपलाइनों का डिजाइन, निर्माण, निरीक्षण और खरखाव और गहरे समुद्र की पाइपलाइनों की सुविधाएं और आवश्यकताएं	मार्च, 1990	अक्टूबर, 2017	
33	ओआईएसडी- एसटीडी - 140	जेट्टी पाइपलाइनों का निरीक्षण	अगस्त, 2000	अगस्त, 2019	
34	ओआईएसडी- एसटीडी - 141	क्रॉस कंट्री लिव्किड हाइड्रोकार्बन पाइपलाइनों के लिए डिजाइन और निर्माण आवश्यकताएं	अप्रैल, 1990	जुलाई, 2012	संशोधनाधीन
35	ओआईएसडी- एसटीडी - 142	अग्निशमन उपकरणों और प्रणालियों का निरीक्षण	फरवरी, 1996	फरवरी, 1996	संशोधनाधीन
36	ओआईएसडी- एसटीडी - 144	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) प्रतिष्ठान	अप्रैल, 1994	अक्टूबर, 2017	
37	ओआईएसडी- एसटीडी- 145	आंतरिक सुरक्षा ऑडिट	जुलाई, 1995	सितम्बर, 2021	
38	ओआईएसडी- आरपी-146	निष्क्रिय विद्युत उपकरणों का संरक्षण	अक्टूबर, 1993	अगस्त, 2000	संशोधनाधीन

39	ओआईएसडी- आरपी-147	विद्युत प्रतिष्ठानों के दौरान निरीक्षण और सुरक्षित अभ्यास	अक्टूबर, 1993	अक्टूबर, 2002	संशोधनाधीन
40	ओआईएसडी- आरपी-148	विद्युत उपकरणों की ओवरहालिंग के दौरान निरीक्षण और सुरक्षित अभ्यास	अक्टूबर, 1993	अगस्त, 2000	संशोधनाधीन
41	ओआईएसडी- आरपी-149	विद्युत प्रणालियों में सुरक्षा के लिए डिजाइन पंहलू	फरवरी, 1996	अक्टूबर, 2013	
42	ओआईएसडी- एसटीडी - 150	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस माउंडेड भंडारण सुविधा के लिए डिजाइन और सुरक्षा आवश्यकताएं	अगस्त, 2000	सितम्बर, 2021	
43	ओआईएसडी- एसटीडी- 151	डिजाइन, निर्माण और फिटिंग प्रोपेन टैंक ट्रकों में सुरक्षा	जुलाई, 1999	अक्टूबर, 2018	
44	ओआईएसडी- एसटीडी - 152	हाइड्रोकार्बन उद्योग में प्रक्रिया प्रणाली के लिए सुरक्षा उपकरण	--	अक्टूबर, 2010	संशोधनाधीन
45	ओआईएसडी- एसटीडी - 153	हाइड्रोकार्बन उद्योग में सुरक्षा उपकरणों का रखरखाव और निरीक्षण	मार्च, 1993	जनवरी, 2015	

46	ओआईएसडी- एसटीडी - 154	कार्यात्मक प्रशिक्षण में सुरक्षा पहलू	अक्टूबर, 1993	सितम्बर, 2001	संशोधनाधीन
47	ओआईएसडी- एसटीडी - 155	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	जुलाई, 1995	सितम्बर, 2021	
48	ओआईएसडी- एसटीडी - 156	हाइड्रोकार्बन से निपटने वाले बंदरगाहों के लिए अग्नि सुरक्षा सुविधाएं	जनवरी, 1992	अक्टूबर, 2017	
49	ओआईएसडी- आरपी-157	थोक पेट्रोलियम उत्पादों (रेल और सड़क) के परिवहन में सुरक्षा	सितम्बर, 1996	अगस्त, 2019	
50	ओआईएसडी- आरपी-158	थोक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के भंडारण और संचालन पर अनुशंसित अभ्यास	जुलाई, 1997	अगस्त, 2000	
51	ओआईएसडी- एसटीडी - 159	लपीजी टैंक ट्रक - डिजाइन / निर्माण और फिटिंग पर सुरक्षा की आवश्यकताएं	जुलाई, 1997	अक्टूबर, 2018	
52	ओआईएसडी- जीडीएन- 161	एलपीजी टैंक ट्रक दुर्घटनाएं बचाव और राहत कार्य	अगस्त, 1993	अक्टूबर, 2018	
53	ओआईएसडी- एसटीडी -	एलपीजी सिलेंडरों की	जुलाई, 1995	अक्टूबर, 2018	

	162	स्थापना और रखरखाव में सुरक्षा विविध गुना			
54	ओआईएसडी-एसटीडी - 163	हाइड्रोकार्बन उद्योग में नियंत्रण कक्ष की सुरक्षा	सितम्बर, 2001 (संशोधित संस्करण)	सितम्बर, 2004	संशोधनाधीन
55	ओआईएसडी-एसटीडी - 164	तेल और गैस उद्योग में स्टील सपोर्टिंग ढांचों की फायर प्रूफिंग	जुलाई, 1998	जुलाई, 2012	
56	ओआईएसडी-जीडीएन- 165	पीओएल टैंक ट्रक दुर्घटना के लिए बचाव और राहत कार्यों के लिए दिशानिर्देश	जुलाई, 1999	जुलाई, 1999	संशोधनाधीन
57	ओआईएसडी-जीडीएन- 166	तेल और गैस उद्योग में व्यावसायिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए दिशानिर्देश	--	जुलाई, 2012	
58	ओआईएसडी-आरपी - 167	पीओएल टैंक लॉरी का डिजाइन और सुरक्षा	जुलाई, 1997	अगस्त, 2019	
59	ओआईएसडी-जीडीएन- 168	तेल उद्योग के विपणन स्थानों के लिए आपातकालीन तैयारी योजना	जुलाई, 1997	जुलाई, 1997	संशोधनाधीन
60	ओआईएसडी-जीडीएन-	छोटे एलपीजी बॉटलिंग संयंत्रों	सितम्बर, 1993	अक्टूबर, 2017	

	169	पर ओआईएसडी दिशानिर्देश (डिजाइन और अग्नि सुरक्षा सुविधाएं)			
61	ओआईएसडी-एसटीडी-170	आधारभूत संरचनाओं का निरीक्षण, रखरखाव, मरम्मत और पुनर्वास	जुलाई, 1997	जुलाई, 1997	
62	ओआईएसडी-एसटीडी-171	निष्क्रिय स्टेटिक और रोटरी यांत्रिक उपकरणों का संरक्षण	जुलाई, 1998	जुलाई, 1998	
63	ओआईएसडी-एसटीडी-173	विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि निवारण और सुरक्षा प्रणाली	जुलाई, 1998	अक्टूबर, 2017	
64	ओआईएसडी-आरपी-174	पूर्णतया नियंत्रित	1998	अप्रैल, 2016	संशोधनाधीन
65	ओआईएसडी-एसटीडी-175	सीमेंटिंग संचालन	1999	जनवरी, 2015	
66	ओआईएसडी-एसटीडी-176	अन्वेषण और उत्पादन (अपस्ट्रीम) कार्मिकों के लिए सुरक्षा स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रशिक्षण	सितम्बर, 1996	सितम्बर, 2003	संशोधनाधीन
67	ओआईएसडी-एसटीडी-	इन्सुलेशन सिस्टम का निरीक्षण	जून, 1998	सितम्बर, 2021	

	177	और रखरखाव			
68	ओआईएसडी- जीडीएन- 178	परिवर्तन प्रबंधन पर दिशानिर्देश	जुलाई, 1999	जुलाई, 1999	संशोधनाधीन
69	ओआईएसडी- एसटीडी- 179	मोटर वाहन क्षेत्र में उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के संपीड़न, भंडारण, हैंडलिंग और ईंधन भरण पर सुरक्षा आवश्यकताएं।	जुलाई, 1998	अप्रैल, 2016	
70	ओआईएसडी- जीडीएन- 180	विद्युत सुरक्षा	जुलाई, 1999	अक्टूबर, 2018	
71	ओआईएसडी- एसटीडी- 181	भूभौतिकीय संचालन	1999	अक्टूबर, 2010	संशोधनाधीन
72	ओआईएसडी- जीडीएन- 182	वर्कओवर और वेल स्टिमुलेशन ऑपरेशंस के लिए सुरक्षित अभ्यास	2000	अक्टूबर, 2018	
73	ओआईएसडी- एसटीडी- 183	लॉगिंग संचालन पर मानक	जून, 1999	अक्टूबर, 2013	
74	ओआईएसडी- एसटीडी- 184	जीवन रक्षक उपकरणों पर मानक	अगस्त, 2000	सितम्बर, 2021	
75	ओआईएसडी- एसटीडी- 185	वायर लाइन संचालन	अगस्त, 2002	अगस्त, 2002	

76	ओआईएसडी- जीडीएन- 186	ई एंड पी उद्योग समकालिक संचालन	2000	अगस्त, 2008	संशोधनाधीन
77	ओआईएसडी- एसटीडी- 187	वायर रोप का खरखाव और उपयोग	अगस्त, 2000	अगस्त, 2000	संशोधनाधीन
78	ओआईएसडी- एसटीडी- 188	अपतटीय और अभितटीय पाइपलाइनों का संक्षारण नियंत्रण और निगरानी	अगस्त, 2000	अगस्त, 2019	
79	ओआईएसडी- एसटीडी- 189	ड्रिलिंग रिग्स, वर्क ओवर रिग्स और उत्पादन प्रतिष्ठानों के लिए अग्निशमन उपकरण पर मानक	अगस्त, 2000	जुलाई, 2012	संशोधनाधीन
80	ओआईएसडी- एसटीडी- 190	डेरिक फ्लोर संचालन में सुरक्षा (अभितटीय और अपतटीय ड्रिलिंग रिग्स)	अगस्त, 2000	जनवरी, 2015	संशोधनाधीन
81	ओआईएसडी- एसटीडी- 191	तेल क्षेत्र विस्फोटक सुरक्षा	अगस्त, 2000	अक्टूबर, 2017	
82	ओआईएसडी- जीडीएन- 192	निर्माण के दौरान सुरक्षा पद्धति	जुलाई, 2000	अप्रैल, 2016	
83	ओआईएसडी- जीडीएन- 193	गैस लिफ्ट संचालन और खरखाव के	सितम्बर, 2001	सितम्बर, 2001	

		लिए दिशानिर्देश			
84	ओआईएसडी- एसटीडी- 194	तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की उतराई, भंडारण और पुनर्गैसीकरण के लिए मानक	अगस्त, 2000	अप्रैल, 2016	
85	ओआईएसडी- एसटीडी- 195	हाइड्रोकार्बन गैस कंप्रेसर स्टेशनों और टर्मिनलों के डिजाइन, संचालन, निरीक्षण और रखरखाव में सुरक्षा	सितम्बर, 2001	सितम्बर, 2001	
86	ओआईएसडी- जीडीएन- 196	पेट्रोलियम उद्योग में विकास परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश	सितम्बर, 2001	सितम्बर, 2001	संशोधनाधीन
87	ओआईएसडी- जीडीएन- 197	पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए दिशानिर्देश	सितम्बर, 2001	सितम्बर, 2001	संशोधनाधीन
88	ओआईएसडी- जीडीएन- 200	ऑइल स्पिल रिस्पॉन्स कंटेंजेंसी योजना तैयार करने के लिए दिशानिर्देश	अक्टूबर, 2002 (संशोधित संस्करण)	अक्टूबर, 2002	संशोधनाधीन
89	ओआईएसडी- आरपी - 201	ई एवं पी क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन	2001	जुलाई, 2008	संशोधनाधीन

90	ओआईएसडी- जीडीएन- 202	ड्रिलिंग और वर्क-ओवर रिग मास्ट, सबस्ट्रक्चर और रिग उपकरण का फील्ड निरीक्षण	2002	जनवरी, 2015	
91	ओआईएसडी- जीडीएन- 203	उत्थापन उपकरण का संचालन, रखरखाव और निरीक्षण	सितम्बर, 2003	सितम्बर, 2003	
92	ओआईएसडी- जीडीएन- 204	चिकित्सा आवश्यकताएं, आपातकालीन निकासी और सुविधाएं (अपस्ट्रीम के लिए)	सितम्बर, 2001	सितम्बर, 2001	संशोधनाधीन
93	ओआईएसडी- आरपी-205	क्रेन संचालन, रखरखाव और परीक्षण के लिए अनुशंसित अभ्यास (अपस्ट्रीम के लिए)	अक्टूबर, 2002	अगस्त, 2019	
94	ओआईएसडी- जीडीएन- 206	पेट्रोलियम उद्योग में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर दिशानिर्देश	सितम्बर, 2001	सितम्बर, 2001	संशोधनाधीन
95	ओआईएसडी- जीडीएन- 207	संविदाकार सुरक्षा	अक्टूबर, 2002	अप्रैल, 2016	
96	ओआईएसडी- एसटीडी- 210	ऑटोमोटिव उपयोग के लिए एलपीजी का	अक्टूबर, 2002	अक्टूबर, 2010	संशोधनाधीन

		भंडारण, संचालन और ईंधन भरना			
97	ओआईएसडी- जीडीएन- 211	पेट्रोलियम प्रयोगशालाओं में सुरक्षा	सितम्बर, 2003	अगस्त, 2019	
98	ओआईएसडी- एसटीडी- 214	क्रॉस कंट्री एलपीजी पाइपलाइन	अक्टूबर, 2006	अक्टूबर, 2013	संशोधनाधीन
99	ओआईएसडी- एसटीडी - 216	अभितटीय ड्रिलिंग और वर्कओवर रिग्स में विद्युत सुरक्षा	सितम्बर, 2007	जनवरी, 2015	
100	ओआईएसडी- जीडीएन- 218	ड्रिलिंग और वर्क-ओवर रिग के सुरक्षित रिग- अप और रिग- डाउन के लिए दिशानिर्देश	अक्टूबर, 2004	अक्टूबर, 2004	
101	ओआईएसडी- जीडीएन- 219	केसिंग पाइप और ट्यूबिंग के फील्ड निरीक्षण, हैंडलिंग और परीक्षण पर दिशानिर्देश	अक्टूबर, 2004	अक्टूबर, 2004	
102	ओआईएसडी- जीडीएन- 224	वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के उत्सर्जन की निगरानी और नियंत्रण	नवम्बर, 2006	नवम्बर, 2006	संशोधनाधीन
103	ओआईएसडी- एसटीडी- 225	पेट्रोलियम खुदरा बिक्री केंद्रों पर भंडारण, हैंडलिंग और	अगस्त, 2007	अक्टूबर, 2010	

		वितरण			
104	ओआईएसडी- एसटीडी- 226	प्राकृतिक गैस ट्रान्समिशन पाइपलाइन और सिटी गैस वितरण तंत्र	अगस्त, 2007	अक्टूबर, 2013	संशोधनाधीन
105	ओआईएसडी- जीडीएन- 227	ई एंड पी उद्योग में आपातकालीन प्रतिक्रिया और तैयारी	अगस्त, 2007	अगस्त, 2007	संशोधनाधीन
106	ओआईएसडी- जीडीएन- 228	हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल उद्योग में फायर ऑपरेटरों का चयन, प्रशिक्षण और नियुक्ति	जुलाई, 2008	जुलाई, 2008	
107	ओआईएसडी- एसटीडी- 230	पेट्रोलियम और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए अनलिमिटेड अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न स्टोरेज	जुलाई, 2008	सितम्बर, 2021	
108	ओआईएसडी- एसटीडी- 231	सकर रॉड पम्पिंग इकाइयाँ	जुलाई, 2008	जुलाई, 2008	
109	ओआईएसडी- जीडीएन- 232	ई एंड पी उद्योग में जोखिम की पहचान और नियंत्रण के उपाय	अक्टूबर, 2013	अक्टूबर, 2013	
110	ओआईएसडी-	गैर-पिगेबल	अक्टूबर, 2013	अक्टूबर, 2013	

	जीडीएन- 233	पाइपलाइनों के निरीक्षण पर दिशानिर्देश।			
111	ओआईएसडी- एसटीडी- 234	ई एंड पी क्षेत्र में अभितटीय उत्पादन प्रतिष्ठानों में विद्युत सुरक्षा	जनवरी, 2015	जनवरी, 2015	
112	ओआईएसडी- एसटीडी- 235	एविएशन फ्यूलिंग स्टेशनों पर भंडारण, हैंडलिंग, ईंधन को भरना औरअग्निशमन	जनवरी, 2015	जनवरी, 2015	संशोधनाधीन
113	ओआईएसडी- एसटीडी- 236	रेफ्रिजेरेटेड एलपीजी स्टोरेज का डिजाइन, लेआउट, संचालन और रखरखाव	दिसंबर, 2014	फरवरी, 2014	
114	ओआईएसडी- एसटीडी- 237	ल्यूब/ग्रीस निर्माण और भरण संयंत्रों का लेआउट, डिजाइन पर विचार, सुरक्षा, संचालन और रखरखाव	जनवरी, 2015	जनवरी, 2015	
115	ओआईएसडी- आरपी - 238	पूर्णतया ईमानदारी	अप्रैल, 2016	अप्रैल, 2016	
116	ओआईएसडी- जीडीएन- 239	अभितटीय कुओं के लिए कुंडलाकार	मार्च, 2016	मार्च, 2016	

		आवरण दाब प्रबंधन पर दिशानिर्देश			
117	ओआईएसडी- आरपी - 242	एचपीएचटी कुओं की ड्रिलिंग और परीक्षण	सितम्बर, 2021	सितम्बर, 2021	
118	ओआईएसडी- आरपी - 243	कोयला आधारित मीथेन (सीबीएम) संचालन पर अनुशंसित संचालन	अक्टूबर, 2018	अक्टूबर, 2018	
119	ओआईएसडी- एसटीडी- 244	स्टैंडअलोन कच्चे तेल भंडारण सुविधाओं सहित डिपो और टर्मिनलों पर पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण और संचालन	जनवरी, 2015	जनवरी, 2015	संशोधनाधीन
120	ओआईएसडी- एसटीडी- 245	बड़े जहाजों, तटीय शिपिंग और अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) टर्मिनलों के लिए बंदरगाहों पर एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं के लिए सुरक्षा पर मानक	अक्टूबर, 2018	अक्टूबर, 2018	

9. ऐसे सभी मानकों का ईमानदारी से पालन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिए ओएनजीसी के पास उपलब्ध संस्थागत तंत्र के विषय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:-

ऐसे सभी मानकों का पालन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए ओएनजीसी के पास उपलब्ध तंत्र का ब्यौरा इस प्रकार है:-

- (i) ओआईएसडी मानकों और ऑडिट का अनुपालन
 - a. ओएनजीसी में, डिजाइन, प्रचालन और रखरखाव पहलुओं सहित ऑनशोर और ऑफशोर प्रतिष्ठान, रिग और पाइपलाइनों पर सम्बन्धित ओआईएसडी मानकों/दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।
 - b. ओआईएसडी द्वारा नवनिर्मित और संशोधित सुविधाओं की चालू करने से पहले सुरक्षा ऑडिट और मौजूदा सुविधाओं की नियमित बाहरी सुरक्षा ऑडिट) ईएसए (की जाती है।
 - c. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) अपतटीय प्रचालन में सुरक्षा (नियम, 2008 के तहत ओआईएसडी द्वारा ईएंडपी अपतटीय प्रचालन के प्रचालन की सहमति भी प्रदान की जाती है।
 - d. अनुपालन की निगरानी परिसंपत्ति स्तर, कॉर्पोरेट स्तर के साथ-साथ उच्च प्रबंधन द्वारा की जाती है।
 - e. निदेशक-आई/सी एचएसई) स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण (प्रत्येक परिसंपत्ति की मासिक समीक्षा बैठकों में लेखापरीक्षा अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करता है।
 - f. सम्बन्धित निदेशालयों द्वारा ओआईएसडी ऑडिट अनुपालन पर विशेष रूप से समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं।
 - g. अनुपालन भी नियमित रूप से बोर्ड की जानकारी के लिए प्रस्तुत

किया जाता है।

h. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद की बैठकों में ओआईएसडी ऑडिट अनुपालन की स्थिति पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

(ii) एचएसई को मजबूत करने के लिए किए गए उपाय:-

ओएनजीसी की एचएसई प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(क) आईएसओ 9001, आईएसओ 45001 और आईएसओ 14001 पर आधारित एक लचीला स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) प्रबंधन प्रणाली लागू है।

(ख) अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स (एएसएमई), अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट (एपीआई), ज्यूस इंस्टीट्यूट फर नॉर्मिंग (डीआईएन), नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन (एनएफपीए), ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस), ओआईएसडी मानक आदि के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग पद्धतियों को शामिल किया गया है।

(ग) प्रत्येक प्रचालन गतिविधि से जुड़े खतरों को जोखिम रजिस्टर में वस्तुनिष्ठ रूप से पहचाना, परिमाणित और प्रलेखित किया गया है। किस साइट के आधार पर विशिष्ट सुरक्षित कार्य पद्धतियां/प्रबंधन योजनाएं तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं।

(घ) निरीक्षण, स्वास्थ्य निगरानी एवं नियंत्रण, रोकथाम रखरखाव एवं मरम्मत प्रक्रिया, आपातकालीन/असामान्य प्रचालन प्रक्रियाएं, आदि।

(ङ.) ओएनजीसी के पास घटनाओं की गंभीरता के आधार पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए तीन स्तरीय प्रणाली है-

i) साइट विशेष के लिए ईआरपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना), ii) अभितट और आरसीपी (क्षेत्रीय आकस्मिक योजना) के लिए ऑफसाइट और ऑनसाइट डीएमपी (आपदा प्रबंधन योजना) अपतट के लिए और iii) सीडीएमपी (कॉर्पोरेट आपदा)

(च) ओएनजीसी के पास अपतटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव संबंधी आपात स्थितियों के शमन और नियंत्रण के लिए तीन स्तरीय तेल रिसाव आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है।

(छ) नियमित मॉक ड्रिल के माध्यम से आपातकालीन प्रतिक्रिया और संसाधनों की प्रभावशीलता की नियमित रूप से जाँच की जाती है।

(ज) पर्याप्त महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, ओएनजीसी ने सुरक्षा महत्वपूर्ण उपकरण (एससीई) की पहचान, मानकीकरण, रखरखाव और निगरानी पर एक नीति लागू की है जो इंजीनियरिंग नियंत्रण सुनिश्चित करती है ताकि प्रमुख दुर्घटना खतरों (एमएएच) के कारण जोखिम कम से कम हो।

(झ) एचएसई इंडेक्स को लागू करके विभिन्न एचएसई मापदंडों पर एसएपी में सभी ओएनजीसी प्रतिष्ठानों की बेंचमार्किंग की गई है। यह रिगों/प्रतिष्ठानों/संयंत्रों के सुरक्षा प्रदर्शन की निगरानी का एक महत्वपूर्ण उपाय है और मैप किए गए एचएसई मापदंडों पर मात्रात्मक स्थिति प्रदान करने के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण है।

(ञ) पीटीडब्ल्यू (काम करने की अनुमति) प्रणाली में यह सुनिश्चित किया जाता है कि विशिष्ट कार्यों में शामिल चालक दल विशिष्ट खतरों से अवगत हैं, आवश्यक सावधानी बरती गई है, काम की उचित निगरानी की जा रही है, सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक परमिट टू वर्क के रूप में ऑनलाइन किया गया है आदि। जिससे भौतिक अनुमोदन की आवश्यकता को खत्म हो

जाती है, सिस्टम आधारित जाँच और संतुलन बना रहता है और प्रक्रियाओं के बाईपास की संभावना को समाप्त हो जाती है।

(ट) किसी तकनीकी/प्रशासनिक/परिचालन प्रक्रिया, प्रक्रिया और प्रणाली में परिवर्तन या सुरक्षा को प्रभावित करने वाले किसी अन्य परिवर्तन से जुड़े जोखिमों को दूर करने के लिए एमओसी (परिवर्तन प्रबंधन) प्रक्रिया का पालन किया जाता है। प्रभावी अनुपालन के लिए एमओसी प्रक्रियाओं का ऑनलाइन मॉड्यूल लागू किया जा रहा है।

(ठ) ओएनजीसी ने किसी भी असुरक्षित कार्य या स्थिति के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई के लिए स्टॉप वर्क कार्यक्रम लागू किया है।

(ड) दुर्घटना/घटना प्रबंधन की एक मजबूत प्रणाली मौजूद है जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी दुर्घटनाओं की मूल कारणों की जाँच की जाए और उनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी दुर्घटनाओं की समय पर सूचना दी जाए और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

(ढ) ड्रिलिंग, वर्कओवर, उत्पादन कार्यों में आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) सक्षम सेवाएं प्रदान की जाती हैं। त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए सभी दैनिक प्रगति रिपोर्ट (डीपीआर) एसएपी प्रणाली में अपलोड की जाती हैं। एससीएडीए (पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण) प्रणाली प्रचालन की वास्तविक समय की निगरानी के लिए उपलब्ध है।

(ण) डेटा एनालिटिक्स दुर्घटनाओं, निकट चूक, ऑडिट टिप्पणियों का अनुपालन, मॉक ड्रिल, एचएसई इंडेक्स आदि के संबंध में एसएपी से डेटा कैप्चर करके किया जाता है। विश्लेषण विभिन्न पहलुओं में सहसंबद्ध है, अंतराल की पहचान की जाती है और सुधार के क्षेत्रों पर कार्रवाई की जाती है। इस तरह के

विक्षेपण के आधार पर सभी कर्मचारियों के साथ-साथ माध्यमिक कार्यबल की जागरूकता के लिए समय-समय पर रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही हैं।

(त) आईटी आधारित उपाय एचएसई से सम्बन्धित सूचना की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए किए गए हैं। जानकारी ओएनजीसी के आंतरिक पोर्टल (ओएनजीसी रिपोर्ट्स) के साथ-साथ समर्पित एचएसई वेबसाइट और ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। ये ओएनजीसी कर्मियों द्वारा कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं।

(थ) योग्यता और कौशल बढ़ाने के लिए माध्यमिक कार्यबल सहित सभी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण, संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सभी कर्मचारियों और माध्यमिक कार्यबल को अपने प्रचालन से सम्बन्धित अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है जैसे कि सर्वाइवल एट सी (एसएस), हेलीकॉप्टर अंडरवाटर इग्रेस ट्रेनिंग (एचयूईटी), माइन्स वोकेशनल ट्रेनिंग (एमवीटी), फायरफाइटिंग, प्राथमिक चिकित्सा, इंटरनेशनल वेल के वेल कंट्रोल कोर्सी कंट्रोल फोरम (आईडब्ल्यूसीए) और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ ड्रिलिंग कॉन्ट्रैक्टर्स (आईडीसीएल) आदि। सभी प्रवेशकों को उनके शामिल होने के समय अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा, एनईबीओएसएच (व्यावसायिक सुरक्षा में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) पाठ्यक्रम, प्रमुख स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन प्रारंभिक प्रतिक्रिया (एमईएमआईआर), बुनियादी आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और लचीलापन आदि जैसे प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं।

(द) विशेष रूप से ओएनजीसी और माध्यमिक कार्यबल सहित क्षेत्रीय कर्मियों के लिए केंद्रित संवेदीकरण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यशालाओं में विभिन्न सुरक्षा मुद्दे जैसे चोट लगने, हाथ/उंगली की चोट, प्रक्रिया सुरक्षा, सुरक्षा अलर्ट, पिछली घटनाओं के केस स्टडी आदि को शामिल किया गया है। विभिन्न एचएसई विषयों पर विशिष्ट

वेबिनार और कार्यशालाओं के लिए विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। प्रतिभागियों में ओएनजीसी के कर्मचारी और द्वितीयक कार्यबल दोनों शामिल हैं।

10. यह पूछे जाने पर कि क्या ओआईएसडी द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा मानकों को सभी ओएमसी (ओएनजीसी सहित) द्वारा अनिवार्य रूप से लागू किया जाना है और इसके कार्यान्वयन के संबंध में ओआईएसडी और ओएमसी के बीच किसी भी असहमति की स्थिति के विषय में पूछे जाने पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी दी:

ओआईएसडी मानक में संशोधन/ उन्हें तैयार करने का काम तेल और गैस उद्योग के विशेषज्ञों की कार्यात्मक समिति द्वारा किया जाता है। मानक की सामग्री को कार्यात्मक समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाता है। ओएनजीसी सहित तेल और गैस उद्योग अनिवार्य रूप से समय-समय पर जारी किए गए सभी लागू ओआईएसडी मानकों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। ओआईएसडी यह जाँचने और समीक्षा करने के लिए नियमित सुरक्षा ऑडिट करता है कि उद्योग द्वारा निर्धारित ओआईएसडी मानकों के अनुसार सुरक्षा मानकों और मानदंडों का पालन किया जा रहा है या नहीं। सभी ओआईएसडी लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अनुपालन ओआईएसडी की सहमति से किया जाता है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान ओएनजीसी में एचएसई फंड सेंटर में कुल निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	धनराशि (करोड़ रुपए में)
2017-18	137
2018-19	131
2019-20	147
2020-21	127

11. समित ने आगे यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि क्या यह सच है कि सुरक्षा मानकों को हमेशा किसी दुर्घटना के होने के बाद ही संशोधित किया जाता है तथा यदि हां, तो क्या ओएनजीसी के लिए समय-समय पर सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना समझदारी भरा कदम नहीं होगा, ताकि तैयारियों का आकलन करने के साथ-साथ कमियों को ध्यान में रखा जा सके। इस पर अपने लिखित उत्तर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओएनजीसी ने जानकारी दी कि:

मानकों में संशोधन/उन्हें तैयार करने का नवीनतम प्रगति, नए विनियमों/उनमें परिवर्तन और घटना से सीखे गए सबक के साथ जुड़ा हुआ है। सुरक्षा मानकों में संशोधन एक नियमित प्रक्रिया है और जब भी आवश्यकता होती है ओआईएसडी द्वारा इसे किया जाता है। वर्तमान में, 46 मानक हैं जो संशोधन/तैयार करने के चरण के अधीन हैं। ओएनजीसी सुनिश्चित करती है कि इसके मानक और प्रक्रियाएं ओएनजीसी की सुरक्षा प्रणालियों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न सांविधिक/विनियामक/सक्षम प्राधिकारियों के मानकों/दिशानिर्देशों के परिवर्तनों, अद्यतनों और संशोधनों के अनुरूप हैं। मानक प्रचालन प्रक्रिया को उपयुक्त रूप से अद्यतन किया जाता है, क्षेत्र कर्मियों को संवेदनशील बनाया जाता है और ऑडिट और निरीक्षण के माध्यम से कार्यान्वयन की भी जाँच की जाती है।

12. ऐसी घटनाओं के घटित होने तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों के आधार पर विभिन्न प्रावधानों को शामिल करने के संदर्भ में पिछली योजना की तुलना में संशोधित आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) - 2021 के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा ओएनजीसी ने अपने लिखित उत्तर में जानकारी दी कि:-

डीएमपी - 2021 में शामिल प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित हैं -

(i) संगठन को चक्रवात वर्गीकरण और हवा की गति के लिए अन्य पूर्वानुमान एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए इनपुट के अलावा चेतावनियों के लिए आईएमडी डेटा पर भी विचार करना चाहिए। कार्रवाई शुरू करने के लिए सबसे खराब स्थिति पूर्वानुमान परिदृश्य पर विचार करने के लिए संगठन।

(ii) आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना) ईआरडीएमपी (को इस स्वरूप में फिर से तैयार किया गया है" मिडस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र के सभी स्थान, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना) ईआरडीएमपी (तैयार करते हैं और इसे मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से प्रमाणित करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड) पीएनजीआरबी (। स्थान स्तर के ईआरडीएमपी दस्तावेज़ को प्रबंधन द्वारा अनुमोदित किया जाता है और फिर पीएनजीआरबी को प्रस्तुत किया जाता है। उद्योग द्वारा ईआरडीएमपी की आवधिक समीक्षा भी की जाती है।"

(iii) मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन) क्यूआरए (नई सुविधाओं के निर्माण से पहले, मौजूदा सुविधाओं में बड़े बदलाव या हर पाँच साल में एक बार जो भी पहले हो "किया जाएगा, इसे क्यूआरए में जोड़ा गया है।

(iv) "जोखिम, जोखिम और सुभेद्यता का आकलन ओआईएसडी-जीडीएन 206-के अनुरूप किया जाएगा और पीएनजीआरबी) आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना, ईआरडीएमपी (विनियम, 2010 और उसके संशोधनों की आवश्यकता "को जोखिम, जोखिम और जोखिम सुभेद्यता आकलन में शामिल किया गया है।

(v) अध्याय) 5 तैयारी और प्रतिक्रिया - क्षमता निर्माण (के तहत संसाधन डेटाबेस को निम्नानुसार शामिल किया गया है:

तेल और गैस उद्योग आपदाओं से लड़ने के लिए विशेष मशीनों/उपकरण भारी उपकरण, महत्वपूर्ण आपूर्ति मद, कुशल मानव श्रम आदि जैसे संसाधनों से लैस

रहते हैं। उद्योग को भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) डेटाबेस (<https://idrn.nidm.gov.in/>) के अद्यतन करने के लिए निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध संसाधनों के इस डेटा को सम्बन्धित जिला प्राधिकरण के साथ साझा करना चाहिए। इस डेटा बैंक को अद्यतित करने से किसी भी आपदा की स्थिति में कम से कम समय में ऐसे संसाधनों की तैनाती और पूलिंग की सुविधा होगी। ऐसे संसाधनों का उपयोग देश में कहीं भी, जहां भी आवश्यकता हो, किया जा सकता है। जिला प्रशासन प्रतिष्ठान (प्रतिष्ठानों) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर योजना तैयार करेगा, ताकि जीवन, संपत्ति, पर्यावरण के नुकसान को कम करने और सुविधाओं को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए संयुक्त संसाधनों का सबसे प्रभावी उपयोग किया जा सके। जैसा कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 में संशोधन किया गया है और आपदा प्रबंधन को अनुसूची VII के तहत प्रविष्टियों में से एक के रूप में शामिल किया गया है, सीएसआर फंड का उपयोग आपदा से लड़ने के लिए विशेष उपकरणों की खरीद के लिए किया जा सकता है।

सभी सीपीएसयू द्वारा एमओपीएंडएनजी को रिपोर्ट करने योग्य प्रमुख घटनाओं को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

एक घटना को प्रमुख माना जाएगा, यदि निम्न में से कोई भी घटना होती है और इसे एमओपीएंडएनजी को सूचित किया जाना चाहिए:

1. आग लगने की कोई भी घटना 15 मिनट में नहीं बुझी।
2. विस्फोट/ब्लो आउट/रेडियोधर्मी)रिसाव या हानि (के कारण कोई भी घटना।
3. किसी भी घटना के कारण आठ घंटे से अधिक समय तक प्रचालन बंद रहा।
4. किसी भी घटना के कारण 50लाख रुपये से अधिक की वित्तीय हानि होती है।
5. इकाई/प्रतिष्ठान परिसर के भीतर कोई भी घटना जिससे मृत्यु हो सकती है।
6. इकाई/प्रतिष्ठान परिसर के भीतर कोई भी घटना, जिसके कारण शरीर का अंग स्थायी रूप से नष्ट हो जाता है और/या स्थायी विकलांगता हो जाती है।

7. डीएमपी अधिनियम 2005की धारा) 2डी (के तहत परिभाषित आपदा सहित संयंत्र/स्थान परिसर के बाहर रोकथाम के बड़े नुकसान और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाली कोई भी घटना।
8. घटना के कारण)इकाई/प्रतिष्ठान परिसर के भीतर (संचयी समय का नुकसान 45कार्यदिवसों से अधिक है।
9. सड़क दुर्घटनाओं की कोई भी घटना) पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के दौरान (जिसके परिणामस्वरूप आग लगती है/विस्फोट होता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, किसी भी घटना को ऊपर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन जो घटना के 24 घंटों के भीतर राष्ट्रीय मीडिया में रिपोर्ट की जाती है, उसे भी रिपोर्ट किया जाएगा।

चक्रवात के लिए एसओपी को निम्नानुसार जोड़ा गया है:

- क. सभी कच्चे और उत्पाद जहाजों को एक सुरक्षित दूरी पर चक्रवात की नज़र और ट्रैक से दूर होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ख. बार्जों को सुरक्षित स्थान/बंद किए गए डॉक पर भी ले जाया जाना चाहिए।
- ग. जेट्टी पर उतराई साधनों को ठीक से सुरक्षित किया जाना चाहिए, ताकि कोई नुकसान न हो।
- घ. एसपीएम को पानी से फ्लश और सुरक्षित किया जाना चाहिए।
- ङ. बंदरगाह प्राधिकारियों के साथ समन्वय सुनिश्चित किया जाए और घाट पर लोडिंग/अनलोडिंग कार्यकलापों को निलंबित किया जाए।
- च. तटीय और प्रभावित क्षेत्र में सभी परियोजना कार्यकलापों को चक्रवात अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाना चाहिए और जनशक्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए।

- छ. टैंकों को नुकसान से बचाने के लिए उत्पाद टैंकों को आधा से अधिक भरा रखने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।
- ज. स्थानों में बाहरी फ्लोटिंग रूफ वर्टिकल टैंकों में चक्रवात/तूफान के दौरान बिजली की सुरक्षा के लिए छत और खोल के बीच बाईपास कंडक्टर होते हैं। एहतियात के तौर पर उनके कनेक्शन की दोबारा जांच की जाएगी।
- झ. सुनिश्चित करें कि भवनों के दरवाजे और खिड़कियां बंद हों और ठीक से सुरक्षित हों।
- ञ. सभी अस्थायी ढांचों/शेडों, चादरों, हाई मास्ट, चैन पुली ब्लॉक्स और हॉट क्रेन चैन, मचान संरचनाओं आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- ट. अस्थायी शेडों/संरचनाओं के सभी छत के कवर आदि को ठीक से सुरक्षित किया जाना है। उपरोक्त के बारे में निर्माण समूह) यदि कोई हो (को सलाह देना।
- ठ. एल स्लिंग और हुक से मुक्त सभी क्रेनों के बूम को कम करना और क्रेन को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना।
- ड. सभी अस्थायी कनेक्शन) प्रोजेक्ट, शटडाउन यूनिट्स/ऑपरेटिंग यूनिट्स/टैंक एम एंड आई सहित (को हटा दिया जाएगा और डी-एनर्जेटिक रखा जाएगा।
- ढ. ऑपरेटिंग क्षेत्र में और उसके आसपास पेड़ों की भारी वृद्धि के मामले में पेड़ों की छंटाई की जाए।

खतरे और सुभेद्यता आकलन में सुरक्षा आपदा के बाहरी कारणों में ड्रोन हमले को जोड़ा गया है।

13. ओएनजीसी द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न 'पर्यावरणीय मानदंडों' के बारे में एक प्रासंगिक प्रश्न कि क्या ओएनजीसी द्वारा अपने परिचालन में ऐसे सभी

प्रासंगिक मानदंडों का पालन किया जा रहा है, इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि : -

ओएनजीसी सभी अनुमन्य अधिनियमों और नियमों/विनियमों का अनुपालन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसकी गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव नगण्य है और यह निर्धारित मानकों के भीतर है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण सम्बन्धी पूर्व-मंजूरी, जहाँ भी लागू हो, ली जाती है। ओएनजीसी के प्रचालनों पर अनुमन्य पर्यावरण सम्बन्धी अधिनियम नीचे दिए गए हैं :-

- क. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन बनाए गई नियमावली; पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 2006; ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000; खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय आवाजाही) नियम, 2016; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
- ख. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- ग. वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- घ. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- ङ. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- च. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ओएनजीसी द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष लंबित मुकदमों के संबंध में ओएनजीसी से संबंधित कुल 14 मामले ऐसे न्यायालयों/अधिकरणों आदि के समक्ष लंबित हैं।

14. समिति ने ओएनजीसी द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को उनके प्रचालनों में शामिल करने के लिए अपनाई जा रही नीति तथा ठेकेदारों के ऐसे उदासीन रवैयें और ओएनजीसी प्रचालनों में दुर्घटनाओं को रोकने में ऐसे दंडात्मक उपायों के प्रभाव को समय पर रोकने के लिए ओएनजीसी के पास उपलब्ध शक्तियों और लिखतों के बारे

में पूछे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि : -

सामग्री और सेवाओं को किराए पर लेने या अधिप्राप्त करने के लिए ओएनजीसी द्वारा सामान्यतया निविदा के निम्नलिखित तरीकों का पालन किया जाता है :-

1. गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) : ओएनजीसी सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए जीईएम पोर्टल का उपयोग कर रही है।
2. खुली निविदा - 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अधिप्राप्ति के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
3. सीमित निविदाएं - निविदा समिति गठित किए बगैर या सीमित आपूर्तिकर्ता उपलब्ध होने पर या श्रेणी के लिए विक्रेताओं को सूचीबद्ध किए जाने पर, 10 लाख रुपए तक की अधिप्राप्ति के लिए सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
4. एकल निविदा पर अधिप्राप्ति - मूल उपकरण आपूर्तिकर्ता (ओईएम)/मूल उपकरण आपूर्तिकर्ता (ओईएस) से पुर्जों की खरीद/मालिकाना प्रकृति की वस्तुओं हेतु एकल निविदा पर अधिप्राप्ति की जाती है। असाधारण परिस्थितियों में तत्काल प्रचालन आवश्यकता को पूरा करने के लिए नामांकन के आधार पर एकल निविदा पर अधिप्राप्ति की जाती है।
5. अधिकारियों के बोर्ड के माध्यम से खरीद - असाधारण परिस्थितियों में जब सामग्री/सेवाओं/कार्यों की या तो तत्काल आवश्यकता हो या संपुष्ट/विस्तृत विनिर्देश न तैयार होने पर अधिकारियों के बोर्ड के माध्यम से खरीद की जाती है।
6. बड़ी परियोजनाओं के लिए आईसीबी (अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली)/एनसीबी (राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली) के माध्यम से एलएसटीके (एकमुश्त टर्न-की) के आधार पर काम दिया जाता है। निविदा के एलएसटीके मोड में निर्धारित सुरक्षा, वातावरण और गुणवत्ता प्रावधान के अनुरूप परियोजना को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी निविदाकार के पास होती है।

एचएसई से सम्बन्धित निर्देशों/दिशानिर्देशों को ओएनजीसी के निविदा दस्तावेजों में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। प्रत्येक परियोजना के निष्पादन के दौरान

एचएसई परियोजना एचएसई मैनुअल द्वारा शासित होती है जिसे प्रोजेक्ट ब्रिजिंग दस्तावेज़ भी कहा जाता है। संविदाकार या उनके उप-संविदाकारों द्वारा किसी भी और सभी सेवाओं और कार्यों के लिए, संविदाकार समय-समय पर संशोधित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा। ओएनजीसी द्वारा परियोजना की प्रगति और संविदाकार द्वारा अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। यदि कोई संविदाकार अपने प्रचालन में सुरक्षा निर्देशों, पर्यावरण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों आदि का जानबूझकर उल्लंघन करता है, तो संविदा प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। विभिन्न दंडात्मक उपायों को लागू करने की व्यवस्था के सम्बन्ध में, ओएनजीसी के निविदा सम्बन्धी दस्तावेजों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

- i. विफलता और आपूर्ति/मोबलाइजेशन में देरी के लिए समाप्ति खण्ड/विघटित हानि खण्ड,
- ii. संविदात्मक प्रावधानों का पालन न करने के कारण पीबीजी (प्रदर्शन बैंक गारंटी) का आह्वान।
- iii. त्रुटिपूर्ण प्रतिष्ठानों के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध।

उपर्युक्त व्यवस्था दुर्घटनाओं को टालने में काफी प्रभावी पाया गया है।

15. ओएनजीसी के कुछ अधिकारियों द्वारा सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन न किए जाने और ठेकेदारों के गैर जिम्मेदाराना रवैये/मौसम की अनियमितताओं के कारण बार्ज पीएपीए-305 दुर्घटना और हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारणों के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि :-

चक्रवात ताउते के दौरान बार्ज पीएपीए-305 की दुर्घटना :

- i. चक्रवात पथ से अचानक लगभग 100 एनएम स्थानांतरित होने की परिघटना अद्वितीय थी और यह पश्चिमी अपतट में हवा की गति के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई थी जिसने प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत ही कम समय दिया।

प्रारंभिक चक्रवात चेतावनी जारी होने के बाद हुई घटना-क्रमों के विश्लेषण के आधार पर ओएनजीसी ने सभी आवश्यक उपाय किए थे।

- ii. घटना के समय अर्थात् मई 2021 के दौरान, एलएसटीके संविदाओं या विभिन्न निर्माण गतिविधियों के तहत 37 बार्ज और सपोर्ट वेसल पर कार्य चल रहे थे। इस मरीन स्प्रेड में अकोमोडेशन बार्ज, सपोर्ट वेसल, एएचटी, क्रू-बोट और डंब बार्ज आदि शामिल थे। 13 मई, 2021 को आसन्न चक्रवात के दृष्टिगत ओएनजीसी प्रतिष्ठानों द्वारा रेडियो संचार के माध्यम से क्षेत्र के सभी बार्जों को तत्सम्बन्धी योजना बनाने और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश दिए गए थे।
- iii. मौसम सम्बन्धी सलाह के आधार पर सभी बार्जों ने कार्रवाई की और एक बार्ज अर्थात् पीएपीए-305 को छोड़कर वापस सेल्टर वाटर को लौट गए या जाने लगे।
- iv. बार्ज की स्थिति तय करने का अंतिम अधिकार बार्ज मास्टर के पास होता है।

हेलीकॉप्टर दुर्घटना की घटना :

- घटना के मूल कारणों का पता लगाने के लिए एएआईबी (विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो) द्वारा घटना की जाँच की जा रही है।
- डीजीसीए हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश/नियम जारी करती है। ओएनजीसी के संविदा के तहत सभी हेलीकॉप्टर ऑपरेटर दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। संविदा का यह अंग होता है कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर सभी डीजीसीए सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करेगा।
- इस प्रकार, सेवाएँ प्रदान करने वाले हेलीकॉप्टर ऑपरेटर हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं।

16. चक्रवात ताउते के दौरान बार्ज पीएपीए-305 की दुखद दुर्घटना के संबंध में ओएनजीसी के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में समिति द्वारा पूछे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि : -

चक्रवात ताउते से सम्बन्धित घटना की जाँच के दौरान पाँच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। इनमें से तीन कार्यकारी ई-9 अर्थात् कार्यकारी निदेशक स्तर के थे जो बोर्ड के बाद उच्चतम स्तर है। एक कार्यकारी ई-7 स्तर (मुख्य महाप्रबंधक) और एक ई-6 स्तर (महाप्रबंधक) का था।

17. समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या बार्ज पीएपीए-305 घटना के संबंध में ठेकेदार के स्थान पर ओएनजीसी के अपने अनुभवी अधिकारियों को दंडित करना वांछनीय था, इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि :

चक्रवात पथ से अचानक लगभग 100 एनएम स्थानांतरित होने की परिघटना अद्वितीय थी और यह पश्चिमी अपतट में हवा की गति के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गई थी। ओएनजीसी ने सभी आवश्यक उपाय किए और सभी सम्बन्धितों को चक्रवात की आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई।

- (1) 13 मई ,2021 को आसन्न चक्रवात के दृष्टिगत ओएनजीसी प्रतिष्ठानों द्वारा रेडियो संचार के माध्यम से क्षेत्र के सभी बार्जों को तत्सम्बन्धी योजना बनाने और सुरक्षित स्थान पर ले जाने के निर्देश दिए गए थे।
- (2) मौसम सम्बन्धी सलाह के आधार पर सभी बार्जों ने कार्रवाई की और एक बार्ज अर्थात् पीएपीए-305 को छोड़कर वापस सेल्टर वाटर को लौट गए थे या जाने लगे थे।
- (3) बार्ज की स्थिति तय करने का अंतिम अधिकार बार्ज मास्टर के पास होता है।

इस सम्बन्ध में, ओएनजीसी ने निष्पक्ष जाँच के निमित्त बार्ज संचालन/ड्रिलिंग कार्यों को सीधे संभालने वाले सम्बन्धित पाँच अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। बाद में ओएनजीसी के अधिकारियों की इस सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं होने के कारण निलंबन को रद्द कर दिया गया था।

18. समिति द्वारा ओएनजीसी में नवीनीकृत स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय (एचएसई) मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने और ओएनजीसी के समग्र संचालन से संबंधित सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं में एक स्पष्ट सुधार की संभावना के बारे में विशेष रूप से पूछे जाने पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:-

ओएनजीसी के पास घटनाओं की गंभीरता के आधार पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए तीन स्तरीय प्रणाली है - (i) साइट विशिष्ट ईआरपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना), (ii) (क) अभितट के लिए ऑफसाइट और ऑनसाइट डीएमपी (आपदा प्रबंधन योजना) एवं (ख) अपतट के लिए आरसीपी (क्षेत्रीय आकस्मिक योजना) और (iii) सीडीएमपी (काँपॉरिट आपदा प्रबंधन योजना)। चक्रवात के बाद ताउते, सीडीएमपी (काँपॉरिट आपदा प्रबंधन योजना), ईआरपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना) और अपतटीय के लिए आरसीपी (क्षेत्रीय आकस्मिकता योजना) को आवश्यकतानुसार संशोधित किया गया है। ओएनजीसी की एचएसई प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए पहले से किए जा रहे उपायों के अलावा, ओएनजीसी द्वारा सुरक्षा प्रबंधन आंकलन परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ सुरक्षा सलाहकार, मैसर्स डीएनवी को नियुक्त करने हेतु एक सक्रिय कदम उठाया गया है। ओएनजीसी के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य का आंकलन करने, तत्सम्बन्धी कमियों का पता लगाने और सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए सलाह अपेक्षित होती है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य संगठन में एक मजबूत सुरक्षा सम्बन्धी संस्कृति विकसित करना है। परियोजना को तीन चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। चरण-1 पहले ही पूरा हो चुका है जिसमें संगठन सुरक्षा धारणा सम्बन्धी व्यापक सर्वेक्षण भी किया गया है। सलाहकार ने 8 रणनीतिक लक्ष्यों के मैपिंग के निमित्त विभिन्न सिफारिशें दी हैं। प्रमुख कार्यकारियों समर्पित समूह के माध्यम से सिफारिशों की निगरानी और कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, ओएनजीसी के सीएमडी द्वारा "परियोजना परिवर्तन" शुरू किया गया है। चरण-2 प्रक्रियाधीन है जिसमें सीएमडी और निदेशकों, प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों,

मध्य प्रबंधन, लाइन प्रबंधकों और क्षेत्र कर्मियों के लिए क्षमता और कौशल निर्माण सम्बन्धी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया/जा रहा है।

टिप्पणियां/सिफारिशें

अप्रत्याशित स्थितियों और आपात स्थितियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया को सुदृढ करने संबंधी पहलें

19. श्री विक्रम के अभ्यावेदन की सूक्ष्मता से जांच करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ विशेष कर्मियों को नियुक्त करने की आवश्यकता तथा उस पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों के बारे में, समिति नोट करती है कि मई, 2021 को चक्रवात ताउते के दौरान हुई एक घटना ने ओएनजीसी की प्रतिष्ठा के साथ-साथ पूरे ऑपरेशन को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। परिणामस्वरूप, ओएनजीसी परियोजनाओं के लिए तैनात जहाजों के डूबने और चक्रवात ताउते के दौरान उचित और समय पर उपाय नहीं किए जाने के कारण कई कर्मियों की जान चली गई। समिति यह भी नोट करती है कि जांच शुरू की गई जिससे जहाजों को किराए पर लेने से संबंधित निबंधन एवं शर्तों में सुधार की आवश्यकता का पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संशोधन और उपाय सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन के साथ एक अन्य दो सदस्यीय समिति जिसमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महानिदेशक (पोत परिवहन) और अपर सचिव (अन्वेषण) शामिल थे, का गठन हुआ।

20. समिति पाती है कि ओएनजीसी ने भविष्य में ऐसी परिहार्य घटनाओं को कम करने और उनसे बचने के लिए विभिन्न उपायों की पहल करने का दावा किया है। इस सीमा तक, ओएनजीसी ने समुद्री संचालन से संबंधित सुरक्षा सहित जहाजों के संबंध में सूचना और प्रबंधन के लिए 'सिंगल पॉइंट अथॉरिटी' - 'मरीन सेल' के गठन के साथ-साथ विशेषतः अपने अपतटीय क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए डीजी (मौसम विज्ञान, आईएमडी) के साथ व्यवस्था की है। समिति यह भी नोट करती है कि ओएनजीसी मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल और 'आपदा प्रबंधन योजना' में

संशोधन करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि समय पर चक्रवात संबंधी आपातकालीन प्रतिक्रिया से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति के परामर्शदाता के माध्यम से स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रथाओं के बेंचमार्किंग जैसे पहलु को भी गति दी है।

21. समिति ओएनजीसी के उत्तरों से नोट करती है कि ताउते घटना के बाद, ओएनजीसी ने ऐसी अप्रत्याशित आपात स्थितियों की तैयारी और प्रतिक्रिया से जुड़े मुद्दों के संबंध में कई उपाय किए हैं। मौसम और चक्रवात के पूर्वानुमान से संबंधित मुद्दों के संबंध में, चक्रवात के बारे में पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए महानिदेशक (हाइड्रोकार्बन) (डीजीएच), आईएमडी, महानिदेशक (पोत परिवहन) (डीजीएस), भारतीय तटरक्षक (आईसीजी) और तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जिसे समयबद्ध तैयारी और कार्रवाई के लिए सभी हितधारकों के साथ साझा किया गया है। समिति यह भी नोट करती है कि भारतीय मौसम विभाग प्रमुख अधिकारियों/कर्मियों को आईएमडी द्वारा प्रदान किए गए ऐसे अन्य इनपुट के साथ-साथ चक्रवाती घटनाओं, निगरानी और पूर्वानुमान से जुड़े बुनियादी मुद्दों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहा है। उचित प्रतिक्रिया के मुद्दे के संबंध में, सभी कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पूर्व-निवारक कार्यों और चक्रवात की भविष्यवाणी पर विशेष जोर देने के साथ एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को भी अद्यतन किया गया है।

22. समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि दुर्भाग्यपूर्ण और परिहार्य ताउते घटना के बाद ही ओएनजीसी ने ऐसी अप्रत्याशित आपात स्थितियों के लिए तैयारियों और प्रतिक्रिया को सुदृढ़ और सुरक्षित करने के लिए उपरोक्त सभी कदम उठाए थे। समिति का विचार है कि ऐसे परिदृश्यों से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के साथ एक व्यापक योजना की दिशा में समयबद्ध प्रगति से ओएनजीसी अमूल्य जीवन और संपत्ति के नुकसान को रोक सकती थी। समिति महसूस करती है कि ओएनजीसी को भविष्य में इसी तरह की किसी भी

अप्रत्याशित आपात स्थिति से निपटने के लिए तुरंत एक फुलप्रूफ और चरण दर चरण प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करना चाहिए। समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी से एक व्यापक नीति दस्तावेज तैयार करने का आग्रह करती है जो सभी उभरते कारकों के आधार पर चक्रवात पूर्वानुमान, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना, जोखिम विश्लेषण के संबंध में सभी मुद्दों को संबोधित करता है। समिति आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना की उचित प्रभावकारिता की जांच करने और सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास के साथ प्रमुख अधिकारियों/कर्मियों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण के महत्व का उल्लेख करना चाहती है। इस सीमा तक, समिति सिफारिश करती है कि किसी मुख्य आपातकालीन समन्वयक/नोडल अधिकारी के समग्र मार्गदर्शन में सुयोग्य आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों और प्रशिक्षित कर्मियों को रखा जाए।

23. समिति क्षेत्र विशिष्ट आकस्मिक योजनाओं को अलग से प्राथमिकता देने के साथ अद्यतन 'आपदा प्रबंधन योजना' के महत्व पर भी जोर देती है। समिति नियंत्रण कक्षों और 'वेल डिफाइन्ड एस्कैलेशन' लेवल के साथ एक उचित और व्यापक रूप से निर्धारित संचार चैनल स्थापित करने का भी सुझाव देती है। समिति विशेष रूप से ऐसे परिदृश्यों के दौरान समन्वय के महत्व को इंगित करना चाहती है और इसलिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अन्य सभी हितधारक एजेंसियों से चाहती है कि वे चक्रवात और सुनामी के मामले में पहले खाली किए जाने के आवश्यक उपायों सहित समुद्र में ऐसी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आदि का संचालन करें। समिति को यह अस्वीकार्य है कि 'परियोजना परिवर्तन' से संबंधित कार्य अभी भी प्रगति पर है। इसलिए, समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी पर सभी मुद्दों को तत्काल हल करने का जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत एक 'जोखिम आधारित ठेकेदार प्रबंधन प्रणाली' पूरी तरह से अंतर्निहित हो, जिसमें ठेकेदार के उचित मूल्यांकन के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

पैरामीटरों में शामिल करने हेतु सभी प्रारूप और चेकलिस्ट शामिल होंगे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि ठेकेदार मूल्यांकन के लिए एक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया अनिवार्य रूप से विकसित की जाए और उसे बोली दस्तावेज का एक हिस्सा बनाया जाए। इसलिए, समिति चाहती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर 'परियोजना परिवर्तन' की नवीनतम स्थिति से समिति को अवगत कराये।

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) और ओएनजीसी के संस्थागत तंत्र द्वारा तैयार सुरक्षा मानक

24. समिति नोट करती है कि तेल और गैस उद्योग में प्रचलित सुरक्षा मानकों के मुद्दे के संबंध में, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (ओआईएसडी) पूर्ववर्ती मानकों की तुलना में अद्यतन सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा, समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपायों के साथ-साथ ऐसे सभी अद्यतन मानकों का पालन करने के लिए ओएनजीसी के पास कई संस्थागत तंत्र भी उपलब्ध हैं। समिति ओएनजीसी द्वारा दिए गए उत्तरों के अवलोकन से पाती है कि ओआईएसडी ने आज तक तेल और गैस उद्योग के लिए 120 से अधिक मानक विकसित किए हैं, और ऐसे मानकों और दिशानिर्देशों की समय-समय पर सभी उद्योग के प्रतिभागियों और हितधारकों के ज्ञान और अनुभव जिसमें घटनाओं से सीखे गए सबक के साथ नवीनतम प्रगति, नए/परिवर्तित नियमों की चर्चा शामिल है, के पूलिंग के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जा रही है। समिति इस तथ्य की सराहना करती है कि ओआईएसडी ने तेल और गैस उद्योग की संपूर्ण गतिविधियों को शामिल करते हुए उप-समूहों का निर्माण किया है, जिसमें अन्वेषण, उत्पादन, पाइपलाइन विपणन, पर्यावरण इंजीनियरिंग और रिफाइनरी तथा गैस प्रसंस्करण जैसे उपक्रमों के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल किया गया है।

25. समिति चिंता के साथ नोट करती है कि ओएनजीसी ने सुरक्षा मानकों के समय पर और नियमित संशोधन/उन्हें तैयार किए जाने पर जोर दिया है, परंतु ताउते की घटना इस प्रक्रिया में निहित कमियों की ओर इशारा करती है। इसके अलावा, संबंधित दिशानिर्देशों के नियमित और समय पर अद्यतन किए जाने के साथ-साथ उद्योग के भीतर इनके आंतरिकीकरण के मुद्दे और वास्तविक समय के आधार पर उन्हें व्यवहार में लाने जाने के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि वर्तमान में छियालीस मानक हैं जो अभी भी संशोधन/बनाए जाने के चरण में हैं। इसलिए समिति इन छियालीस दिशानिर्देशों को अद्यतन करने में विलंब पर अपनी चिंता व्यक्त करती है और उनका सुविचारित मत है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों का तत्काल अद्यतन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

26. इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ओएनजीसी तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को ओआईएसडी के कार्यकरण और उसके अनुपालन से संबंधित सभी लंबित मुद्दों और अन्य बाधाओं को हल करना चाहिए। इस सीमा तक, समिति सरकार से नियमित ऑडिट और इस तरह के ऑडिट एक्शन पॉइंट्स पर निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई करने के साथ-साथ संचालन और रखरखाव के क्षेत्रों को शामिल करने वाले दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से तैयार करने, मानकीकृत करने और संशोधित करने (जब भी आवश्यक हो) का आग्रह करती है। समिति यह भी चाहती है कि किसी भी घटना/दुर्घटना की स्थिति में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में ओआईएसडी, ऐसी घटनाओं का समयबद्ध तरीके से विश्लेषण और जांच करे और इसके मूल कारण की पहचान करे तथा उपचारात्मक कार्य योजना तैयार करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। समिति चाहती है कि सरकार और ओएनजीसी सिफारिश में बताए गए मुद्दों पर विशेष रूप से ओआईएसडी दिशानिर्देशों के अद्यतन से संबंधित की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रतिवेदन की प्रस्तुति के तीन माह के भीतर साझा करें।

पूर्ववर्ती योजना की तुलना में आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा(डीएमपी-2021)

27. समिति नोट करती है कि आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी-2021) में हाल की कुछ घटनाओं के आधार पर पिछली योजना के संबंध में विभिन्न नए प्रावधान और परिवर्तन शामिल किए गए हैं। समिति पाती है कि तेल और गैस उद्योग को सुचारू रूप से काम करने के लिए विशेष मशीनरी जैसे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसमें महत्वपूर्ण आपूर्ति वस्तुओं, कुशल कार्मिक शक्ति आदि के साथ भारी उपकरण शामिल होते हैं और इसलिए, ऐसे प्रक्रियाओं में शामिल व्यक्तियों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। समिति का विचार है कि इस तरह की अधिदेशित सुरक्षा कवरेज केवल एक व्यापक और कठोर नियमों/दिशानिर्देशों के साथ सुनिश्चित की जा सकती है, जिसका पूरी भावना से पालन करना अनिवार्य हो।

28. समिति नोट करती है कि संशोधित डीएमपी-2021 में शामिल किए गए बड़े बदलाव, चेतावनी के लिए आईएमडी डेटा पर बढ़ते फोकस से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को शामिल करते हैं। इसमें चक्रवात का वर्गीकरण और हवा की गति के लिए अन्य पूर्वानुमान एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट के अलावा, आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने के लिए सबसे बुरी स्थिति का परिदृश्य भी शामिल है। इसके अलावा, आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) में अब सुधार किया गया है और इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा अनुमोदित एक मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से प्रमाणित करने की आवश्यकता है। साथ ही इसकी आवधिक समीक्षा उद्योग द्वारा की जानी है। समिति यह भी पाती है कि किसी भी नई सुविधा के निर्माण से पहले मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन (क्यूआरए) भी किया जाना आवश्यक है, जिसमें मौजूदा सुविधाओं में बड़े बदलाव या प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार, जो भी पहले हो, किया जाना शामिल है।

29. समिति यह भी नोट करती है कि क्षमता निर्माण सहित तैयारियों और प्रतिक्रिया के पहलू पर, तेल और गैस उद्योग आपदाओं से लड़ने के लिए विशिष्ट और भारी मशीन/उपकरण, महत्वपूर्ण आपूर्ति मर्दा, तकनीकी कार्मिक शक्ति जैसे

संसाधनों से लैस है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (आईडीआरएन) डेटाबेस के अद्यतनीकरण के लिए उद्योग को उपलब्ध संसाधनों के इस डेटा को निर्धारित प्रारूप में संबंधित जिला प्राधिकरणों के साथ साझा करना चाहिए। समिति यह भी स्वीकार करती है कि संबंधित डेटा बैंक के इस तरह के अद्यतनीकरण से किसी भी आपदा के मामले में कम से कम समय में समान संसाधनों की पूलिंग की सुविधा होगी, जिसका उपयोग देश में कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर किया जा सकता है। इसलिए, समिति प्राथमिक और द्वितीयक कार्य बल सहित सभी स्तरों पर कार्मिकों के लिए उचित प्रशिक्षण, जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू करने की सिफारिश करती है। समिति महसूस करती है कि ये कदम आपदा न्यूनीकरण की दिशा में विभिन्न परिमाणों के साथ उनकी क्षमता और कौशल को बढ़ाने की दिशा में बहुत सहायक होंगे। समिति विशेष कार्यशालाओं के तहत कवर किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा मुद्दों जैसे चोटों, हाथ/उंगली की चोटों, प्रक्रिया सुरक्षा, सुरक्षा अलर्ट, विभिन्न घटनाओं की केस स्टडी पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की इच्छा व्यक्त करती है। इसके अलावा, जहां भी आवश्यक हो, सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और सुरक्षा संस्कृति को और मजबूत करने के लिए जाने माने विशेषज्ञों को भी शामिल किया जा सकता है। समिति सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति जिसमें ओएनजीसी द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का उचित अनुकरण और पालन शामिल है।

30. समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी के उत्तरों के अवलोकन से नोट करती है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) से संबंधित मुद्दों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए इसके अनुरूप संचालन के साथ ओएनजीसी में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। एचएसई नीतियों में सभी परिचालनों में दिन-प्रतिदिन के आधार पर जोखिम का प्रबंधन करना और पर्यावरण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ लोगों और संपत्ति की सुरक्षा की

जिम्मेदारी को स्वीकार करना शामिल है। समिति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी के उत्तर से यह पाती है कि उनके पास घटनाओं की गंभीरता के आधार पर आपात स्थिति से निपटने की त्रि-स्तरीय प्रणाली है, अर्थात् स्थल विशिष्ट ईआरपी (आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना), तटवर्ती क्षेत्रों के लिए ऑफसाइट एंड ऑनसाइट डीएमपी (आपदा प्रबंधन योजना) और अपतटीय क्षेत्रों के लिए आरसीपी (क्षेत्रीय आकस्मिकता योजना) और कॉर्पोरेट आपदा प्रबंधन योजना (सीडीएमपी)। समिति यह नोट करने के लिए बाध्य है कि चक्रवात ताउते के बाद की घटना के बाद ही, अपतटीय क्षेत्रों के लिए सीडीएमपी, ईआरपी और आरसीपी को संशोधित किया गया है। इसके अलावा, ओएनजीसी की एचएसई प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने के लिए अब अतिरिक्त उपाय किए जा रहे हैं, साथ ही सुरक्षा प्रबंधन आकलन परियोजना को लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ सुरक्षा परामर्शदाता (मैसर्स डीएनवी जीएल प्राइवेट लिमिटेड) को शामिल करने की दिशा में सक्रिय कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में, परामर्शदाता को ओएनजीसी के प्रचलित सुरक्षा परिदृश्य का आकलन करने की आवश्यकता है, वहीं कमियों को इंगित करते हुए और उनके सुधार के लिए उपायों को लागू करना भी आवश्यक है। इसलिए, परियोजना का मुख्य उद्देश्य संगठन में एक मजबूत सुरक्षा संस्कृति विकसित करना है।

31. समिति यह भी नोट करती है कि परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें चरण-1 पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसमें एक संगठन व्यापक सुरक्षा 'धारणा सर्वेक्षण' भी किया गया था। समिति नोट करती है कि परामर्शदाता ने आठ रणनीतिक लक्ष्यों को शामिल करते हुए कई सिफारिशें दी हैं और संबंधित सिफारिशों की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के समर्पित समूह के माध्यम से निगरानी और कार्यान्वयन की जा रही है। इसके अलावा, सीएमडी और निदेशकों, प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों, मध्यवर्ती प्रबंधन, लाइन प्रबंधकों और फील्ड कर्मियों के लिए क्षमता और कौशल निर्माण कार्यशालाओं के साथ चरण-2 चल रहा है। परिणामस्वरूप, परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को

सुनिश्चित करने के लिए, सीएमडी, ओएनजीसी द्वारा परियोजना परिवर्तन शुरू किया गया है। समिति यह इंगित करने के लिए बाध्य है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी ने परियोजना परिवर्तन के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की है और इसलिए, संसदीय समिति के साथ जानकारी साझा करते समय समिति इस तरह के दृष्टिकोण को अस्वीकार करती है। समिति नोट करती है कि पिछले 5 वर्षों के दौरान ओएनजीसी में केन्द्रीय एचएसई निधि में कुल निधि उपयोग कुछ सीमा तक स्थिर प्रतीत होता है, जो वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए ₹ 137 करोड़ और ₹ 131 करोड़ है, जबकि वर्ष 2019-20 और वर्ष के लिए 2020-21 क्रमशः 147 करोड़ रुपये और 127 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 157 करोड़ की राशि का उपयोग किया जा चुका है।

32. समिति सिफारिश करती है कि ओएनजीसी को आगामी वर्षों के दौरान ओआईएसडी द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा मानकों के बेहतर और समय पर कार्यान्वयन के लिए संबंधित शीर्ष के तहत निधियों के आवंटन और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास करना चाहिए। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि ओएनजीसी सतत विकास के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सभी लागू कानूनों, उद्योग मानकों और संहिताओं का अनिवार्य रूप से पालन करेगी। समिति यह भी इच्छा व्यक्त करती है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में हितधारकों को शामिल करके जागरूकता और भागीदारी सुनिश्चित करें। समिति इस संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और ओएनजीसी द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।

नई दिल्ली;

12 दिसंबर, 2022

21 अग्रहायण, 1944(शक)

श्री हरीश द्विवेदी,

सभापति,

याचिका समिति

याचिका समिति की पच्चीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

याचिका समिति (सत्रहवीं लोकसभा) की पच्चीसवीं बैठक सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को दोपहर 1500 बजे से 1700 बजे तक, समिति कक्ष 3, ब्लॉक ए, संसदीय सौध (विस्तार), नई दिल्ली में हुई।

श्री हरीश द्विवेदी
उपस्थित
- अध्यक्ष

- सदस्य
2. श्री एंटो एन्टोनी
 3. श्री हनुमान बेनीवाल
 4. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक
 5. डॉ जयंत कुमार राँय
 6. श्री अरविन्द सावंत
 7. श्री बृजेन्द्र सिंह
 8. श्री सुनील कुमार सिंह

- सचिवालय
1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - अपर सचिव
 2. श्री राजू श्रीवास्तव - निदेशक

2. प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया।

3. इसके बाद समिति ने निम्न प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विचार किया:-

- | | | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| (i) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (ii) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (iii) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| (iv) | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

(v) पर्यावरणीय कानूनों का पालन करने हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा भारतीय मौसम विज्ञान एवं विभाग (आईएमडी)/तटरक्षक बल के साथ प्रभावी संपर्क तथा साथ ही साथ विशेष कार्मिकों को नियुक्त करने की आवश्यकता के संबंध में श्री विक्रम से प्राप्त अभ्यावेदन पर प्रतिवेदन;

(vi) *** *** *** *** *** ***

(vii) *** *** *** *** *** ***

4. उपर्युक्त प्रतिवेदनों के प्रारूपों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद समिति ने मामूली संशोधनों के बाद इन प्रतिवेदनों को स्वीकृत किया। समिति ने अध्यक्ष को प्रतिवेदनों के प्रारूपों को अंतिम रूप देने और उन्हें सदन में प्रस्तुत करने के लिए भी प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई ।
